GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.296
ANSWERED ON 03.02.2023

SENIOR CITIZEN CONCESSIONS

296 SHRI SUSHIL KUMAR MODI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the revenue foregone by Railways on account of senior citizen concessions between 2017-18 and 2019-20, year-wise;

(b) whether it is a fact that revenue loss from concessions availed in Non-AC sleeper and general class are lower than in higher classes, if so, year-wise comparisons thereof;

(c) all the categories of persons for which concessions are available in Railways and the losses incurred on account of such concessions in last three years, year-wise; and

(d) whether Railways is considering reintroduction of senior citizen concessions in Non-AC sleeper and general classes, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

https://www.govtstaff.com

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF UNSTARRED QUESTION NO. 296 BY SHRI SUSHIL KUMAR MODI ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 03.02.2023 REGARDING SENIOR CITIZEN CONCESSIONS

(a): Revenue foregone due to concessions in passenger fare to Senior citizens during 2017-18, 2018-19 and 2019-20 are approximately ₹1491 crore, ₹1636 crore and ₹1667 crore respectively.

(b): Revenue foregone due to concessions to senior citizens in Non-AC classes vis a vis AC classes during 2017-18 to 2019-20 are as under:

Period	Revenue foregone (in ₹ crore approx.)	
	Non AC classes	AC classes
2017-18	670	820
2018-19	714	921
2019-20	701	965

(c): At present, concessions in passenger fare are admissible to 4 categories of Persons with Disabilities, 11 categories of Patients and Students. Revenue foregone due to concessions to Persons with Disabilities, Patients and Students during last three years are as under:

Categories of passengers	Revenue foregone (in ₹ crore approx.)		
	2019-2020	2020-21	2021-22
Persons with Disabilities	135	19	55
Patients	155	19	47
Students	55	0.11	5

(d): Government gave subsidy of ₹59,837 Crore on passenger tickets in 2019-20. This amounts to concession of 53% on an average, to every person, travelling on Railways. This subsidy is continuing for all passengers. Further concessions beyond this subsidy amount are continuing for many categories like Divyangjans, students and patients.

*****

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
03.02.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 296 का उत्तर

वरिष्ठ नागरिक को दी गई रियायतें

296. श्री सुशील कुमार मोदीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017-18 और 2019-20 के बीच वरिष्ठ नागरिक को रियायत दिए जाने के परिणामस्वरूप रेलवे को वर्ष-वार राजस्व की कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि गैर वातानुकूलित शयनयान और सामान्य श्रेणी में प्राप्त रियायतों से हुई राजस्व हानि उच्च श्रेणी की तुलना में कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तुलना क्या है;

(ग) रेलवे में व्यक्तियों की किन-किन श्रेणियों के लिए रियायतें उपलब्ध हैं और विगत तीन वर्षो में इस तरह की रियायतों के कारण वर्ष-वार कितनी हानि हुई है; और

(घ) क्या रेलवे गैर वातानुकूलित शयनयान और सामान्य श्रेणी में वरिष्ठ नागरिक को रियायत देना फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

s.k

https://www.govtstaff.com

वरिष्ठ नागरिक को दी गई रियायतों के संबंध में 03.02.2023 को राज्य सभा में श्री सुशील कुमार मोदी के अतारांकित प्रश्न सं. 296 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क): 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में रियायत के कारण छोड़ा गया राजस्व क्रमशः लगभग 1491 करोड़ रु., 1636 करोड़ रु. और 1667 करोड़ रु. है।

(ख): 2017-18 से 2019-20 के दौरान वातानुकूलित श्रेणी की तुलना में गैर-वातानुकूलित श्रेणी के नागरिकों को दी जाने वाली राजस्व रियायत निम्नानुसार हैं:-

अवधि	**परित्यक्त राजस्व (रु. करोड़ में लगभग)**	
	गैर वातानुकूलित श्रेणी	**वातानुकूलित श्रेणी**
2017-18	670	820
2018-19	714	921
2019-20	701	965

(ग): वर्तमान में, दिव्यांग व्यक्तियों की 4 श्रेणियों, मरीजों और छात्रों की 11 श्रेणियों के यात्री किराए में छूट दी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों, मरीजों और छात्रों को राजस्व में दी गई छूट राजस्व निम्नानुसार हैं:

यात्री श्रेणी	परित्यक्त राजस्व (रु. करोड़ में लगभग)		
	2019-2020	2020-2021	2021-2022
दिव्यांग	135	19	55
मरीज	155	19	47
छात्र	55	0.11	5

(घ): सरकार ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रु. की सब्सिडी दी थी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के किराए का औसतन 53% तक है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जा रही है। इस सब्सिडी के अलावा और कई रियायतें अतिरिक्त राशि की छूट दिव्यांगजनों, छात्रों और मरीजों जैसी कई श्रेणियों के लिए जारी हैं।

*****

https://www.govtstaff.com